दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि 26 अप्रैल, 2023

+ रि.या.(सि.) 11301/2017

निशा प्रिया भाटिया ...याचिकाकर्ता

द्वारा: कोई नहीं।

बनाम

सीपीआईओ, संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री राकेश कुमार, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री सुनील, भारत संघ के अधिवक्ता मो. :9811549455)

श्री सुधीर वालिया और सुश्री इशिता देसवाल, प्र-2 के लिए अधिवक्ता (मो. :9999449889)

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह

<u>प्रतिभा एम. सिंह, न्या. (मौखिक)</u>

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है|

2. याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है|

3. वर्तमान याचिका द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 के उस आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा सीआईसी ने आरटीआई आवेदक की अपील को खारिज कर दिया है और कहा है कि आरटीआई आवेदक मांगी गई जानकारी पाने का हकदार नहीं है| आरटीआई आवेदक ने दिनांक 23 जनवरी, 2012 को संपदा निदेशालय, भारत सरकार से निम्नलिखित जानकारी मांगी थी:-

> *"श्री एस.के. त्रिपाठी, आईपीएस (यूपी;1972) द्वारा वर्ष 1986 से वर्तमान तक सरकारी वास के आवंटन के लिए किए गए आवेदनों की प्रमाणित प्रतियां"*

4. आरटीआई आवेदक का आरोप है कि सीपीआईओ से कोई जवाब नहीं मिला था| इसलिए, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की गई थी| हालाँकि, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की ओर से कोई उत्तर नहीं प्राप्त किया गया था| तदनुसार, सीआईसी के समक्ष द्वितीय अपील दायर की गई थी| यह याचिकाकर्ता का मामला है कि संपदा के उप-निदेशक श्री जी.पी. सरकार (ए-1) द्वारा सीआईसी के रजिस्ट्रार को दिनांक 8 मई, 2017 को एक पत्र लिखा गया था जिसमें याचिकाकर्ता के आरटीआई आवेदन को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था| उक्त पत्र, जो वर्तमान याचिका के साथ संलग्न किया गया है, इस प्रकार हैः

> *"सर/मैडम,*
>
> *मैं उपरोक्त विषय पर आपकी अपील/शिकायत सं. सीआईसी/वीएस/सी/2012/000454 दिनांकित 28.03.2017 का*

*सन्दर्भ देना चाहता हूं और आपको सूचित करने हेतु कि श्रीमती निशा प्रिया भाटिया ने अपने पत्र दिनांकित 30.01.2012 और अपील दिनांकित 03.03.2012 के माध्यम से श्री एस.के. त्रिपाठी, आईपीएस (यूपी;1972) द्वारा वर्ष 1986 से वर्तमान तक सरकारी वास के आवंटन के लिए किए गए आवेदनों की प्रमाणित प्रतियां माँगी| **उन्हें दिनांक 11.5.2012 के डीटीई के सम संख्या पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि मांगी गई जानकारी उन्हें प्रदान नहीं की जा सकती थी क्योंकि श्री त्रिपाठी का विभाग इस जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अनुसन्धान और विश्लेषण विंग (रॉ) नामक एक संगठन के प्रमुख थे और आवेदन पत्र में कुछ सेवा विवरण शामिल थे, जिनका खुलासा अनुसन्धान और विश्लेषण विंग (रॉ) के रूप में जाने गए संगठन के कार्यात्मक हित में नहीं हो सकता था और आवेदन पत्र में कुछ सेवा विवरण शामिल थे जो संगठन के कार्यात्मक हित में नहीं थे| पत्र की प्रति आपके अवलोकन और जानकारी के लिए संलग्न है|***

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि अपील/शिकायत सं. सीआईसी/वीएस/सी/2012/000454 दिनांकित 09.19.2012 को समाप्त करने का अनुरोध किया जाता है|"

5. इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दूसरी अपील में केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का निष्कर्ष है कि धारा 24 के अंतर्गत अनुसन्धान और विशलेषण विंग (रॉ) एक छूट प्राप्त संगठन है और वर्तमान मामले में अपवाद को लागू करने के

लिए मानवाधिकार या भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता है। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निष्कर्ष निम्नलिखित है:-

> *"पक्षकारगण को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, आयोग ने नोट किया कि अपीलार्थी ने वर्ष 1986 से अब तक श्री एस के त्रिपाठी द्वारा सरकारी आवास के आवंटन के आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी है। विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह इस प्रकार है:*
>
> *क्या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र को कुछ गोपनीय जानकारी, जो आवेदन में हो सकती है, के कारण सार्वजनिक प्रकटीकरण से छूट दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र में कई व्यक्तिगत विवरण दर्ज किए जाते हैं। ये अनिवार्य रूप से निजी जानकारी की प्रकृति के हैं और यदि इनका खुलासा किया जाता है तो यह निजता के उल्लंघन का स्पष्ट मामला होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास के आवंटन से संबंधित विवरण संपदा निदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया होता है। इसलिए जनहित का एक मामले बनाया जाना चाहिए जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आवेदन प्रपत्रों की प्रतियां तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी मामले में, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 11 द्वारा निर्धारित प्रावधानों का भी ऐसे मामलों में उपयोग किया जाना चाहिए।*

तथापि, वर्तमान मामले में, अनुसन्धान और विशलेषण विंग (रॉ) एक गुप्त संगठन होने के कारण, मंत्रिमंडल सचिवालय ने संपदा निदेशालय को भेजे अपने पत्र में यह अनुरोध किया है कि अनुसन्धान और विशलेषण विंग (रॉ) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 24, दूसरी अनुसूची में एक संगठन के रूप में सूचीबद्ध होने के कारण सूचना नहीं दी जा सकती। मंत्रिमंडल सचिवालय ने यह भी कहा है कि आवेदन में संबंधित अधिकारी का सेवा विवरण भी होगा, जिसका खुलासा संगठन - अनुसन्धान और विशलेषण विंग (रॉ) के कार्यात्मक हित में नहीं होगा।

*मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि **यह श्री त्रिपाठी द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का मामला है, जो स्थायी रूप से संगठन में शामिल होने और आरएएस यानी संगठन के मूल कैडर के रूप में काम करने के बावजूद, अभी भी आईपीएस अधिकारी के रूप में सरकारी आवास के लिए आवेदन कर रहा था और इस प्रक्रिया में बेहतर आवास प्राप्त कर रहा था।** उनका मामला यह है कि चूंकि यह एक विसंगति की ओर इशारा करती है, जो भ्रष्टाचार को चिन्हित करती है, इसलिए उन्हें जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।*

***दोनों पक्षों के विचारों को सुनने के बाद आयोग अपीलार्थी की इस दलील को कायम रखने में असमर्थ है कि कथित मामला या तो भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के तहत आता है।** जैसा कि सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि वेतनमान एक सरकारी*

*कर्मचारी को आवास की एक विशेष श्रेणी प्रदान करने का मूल मानदंड था| संपदा निदेशालय ही है जिसने अधिकारी को उसकी पात्रता के अनुसार, चाहे वह आरएएस का हो या आईपीएस का, आवास आवंटित किया। **आयोग यह भी महसूस करता है कि 1986 से अब तक उसके द्वारा दायर किए गए विभिन्न आवेदनों में उसकी सेवा के बारे में जानकारी का जनहित में खुलासा करना उचित नहीं होगा।***

***इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सूचना सुरक्षा संगठन के प्रमुख से संबंधित है, जिसे आरटीआई अधिनियम के दायरे से स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त है, आभासी विधायन के प्रसिद्ध सिद्धांत के नियम आकर्षित होते हैं।** नियम के सिद्धांत को लागू करके, कि "विधायिका जो भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है, वह परोक्ष रूप से भी नहीं कर सकती है। **जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जनहित को अधिभावी करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। इसलिए, आयोग की यह सुविचारित राय है कि इस मामले में आगे किसी अधिनिर्णय की आवश्यकता नहीं है।** इस प्रकार यह मामला बंद हो जाता है।"*

6. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 में यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षा और आसूचना संगठनों पर लागू नहीं होता है। रॉ (अनुसंधान और विश्लेषण विंग) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों में से एक है। हालांकि, धारा 24 का पहला परंतुक धारा 24 में दी गई छूट के लिए अपवाद प्रदान करता है, यदि मांगी गई जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है :-

*"24. **अधिनियम कुछ संगठनों पर लागू नहीं होगा -** (1) इस अधिनियम की कोई भी बात दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी जानकारी पर :-*

परंतु भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उपधारा के तहत अपवर्जित नहीं किया जाएगा :-

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में मांगी गई जानकारी के मामले में, जानकारी केवल केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी, और खंड 7 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी जानकारी अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी.....।"

7. दूसरी अनुसूची में विशेष रूप से रॉ (अनुसंधान और विश्लेषण विंग) का उल्लेख एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में किया गया है, जिसे छूट प्राप्त है। उक्त प्रविष्टि इस प्रकार है :-

"दूसरी अनुसूची

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आसूचना एवं सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।

[2. अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग इसके तकनीकी विंग सहित नामतः, मंत्रिमंडल सचिवालय का विमानन अनुसंधान केंद्र].....”

8. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने ***भारत सरकार बनाम केंद्रीय सूचना आयोग [वि.अन.या (सि) संख्या 5557/2023, दिनांक 11 अप्रैल, 2023]*** *में निम्नलिखित कहा हैः*

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

प्रत्यर्थी सं. 2 ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, 'आरटीआई अधिनियम') के तहत निम्नलिखित जानकारी के लिए प्रार्थना की है -

(1) 1991 से लेकर अब तक की अवधि के लिए अपर श्रेणी लिपिकों के संबंध में सभी वरिष्ठता सूची की प्रतियां।

(2) बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियों के साथ डीपीसी के समक्ष रखे गए अपर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के प्रस्ताव की प्रतियां और समय-समय पर डीपीसी की सिफारिशों पर जारी पदोन्नति आदेशों की प्रतिया”

अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि अपीलार्थी / प्रवर्तन निदेशालय, आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में होने के कारण, आरटीआई अधिनियम उक्त संगठन पर लागू होने योग्य /लागू नहीं होगा/ हालांकि, ***उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और***

आदेश में कहा है कि "मांगी गई जानकारी को मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कही जा सकती है" *और इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 24 लागू नहीं होगी।*

हालांकि, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क का अनुमोदन नहीं करते *हैं लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जो मांगा गया था वह सेवा रिकॉर्ड था, अर्थात् वरिष्ठता सूची और डीपीसी के समक्ष रखी गई अवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के प्रस्ताव की प्रतियां, कानून के सवाल को खुला रखते हुए, चाहे अन्य पहलुओं पर या अन्य जानकारी के संबंध में कि क्या आरटीआई अधिनियम अपीलार्थी पर लागू होगा या नहीं, हम मांगे गए दस्तावेजों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार नहीं करते हैं।*

दोहराव की कीमत पर, यह पाया गया है कि हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। तथापि, फिर भी, इसमें ऊपर बताए गए कारणों से, हम वर्तमान विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कानून के सवाल को खुला रखते हैं।

9. सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए 'भ्रष्टाचार' और 'मानव अधिकार' शब्दों की बारीकी से व्याख्या करनी होगी। हाल ही में, इस न्यायालय ने रि.या. (सि) 9971/2019 में कहा गया है कि आर टी आई के तहत 'राज्य पुलिस ए.टी.एस' एक को छूट प्राप्त संस्था है उक्त निर्णय में, इस न्यायालय

ने कहा कि राज्य पुलिस खुफिया की रिपोर्ट और डोजियर मानवाधिकार और भ्रष्टाचार की छूट के तहत योग्य नहीं होंगे।

10. अनुसन्धान और विश्लेषण विंग (रॉ) एक ऐसा संगठन है जिसको विशेष रूप आरटीआई अधिनियम की खंड अनुसूची में उल्लेख किया गया है। यह एक छूट प्राप्त संगठन है। जब तक मांगी गई सूचना की प्रकृति मानवाधिकारों या भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों से संबंधित नहीं है, तब तक सूचना का खुलासा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान याचिका में मांगी गई सूचना की प्रकृति, यानी आवासों जहां विषय व्यक्ति जो सुरक्षा एजेंसी अनुसन्धान और विश्लेषण विंग के प्रमुख है को छूट नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

11. तदनुसार, याचिका का निपटान किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

प्रतिभा एम. सिंह न्या.

26 अप्रैल, 2023

डीजे/एसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*